

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जाख से गणाउ-दाड़िमी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई-5.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम दाड़िमी
तहसील जैता, जिला अल्मोड़ा

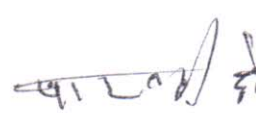
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जाख से गणाउ-दाड़िमी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई-5.00 किमी० परियोजना के निर्माण हेतु हे० आरक्षित वन भूमि, ०.१४० हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि हे० अर्थात् कुल ०.१४० हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दाड़िमी द्वारा दिनांक १०/०३/१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दाड़िमी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत दाड़िमी


ग्राम प्रधान
दीवान राम
प्रधान
ग्राम पंचायत दाड़िमी
विकास खण्ड-लमगाड़ा
जिला-अल्मोड़ा

अध्यक्ष
ग्राम पंचायत दाड़िमी,
लमगाड़ा (अल्मोड़ा)
वि.सं. - लमगाड़ा

दिनांक 10/07/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत दाड़िमी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	देवानराम डांडा श्री गंगाराम	देवानराम
2-	नरसिंह डांडा लक्ष्मी	नरसिंह
3-	सीताराम डांडा श्री प्रतापसिंह	सीताराम
4-	चतुरसिंह डांडा श्री प्रतापसिंह	चतुरसिंह
5-	हिंदीराम डांडा श्री प्रतापसिंह	हिंदीराम
6-	देवानराम डांडा श्री देवसिंह	देवानराम

ग्राम प्रधान
देवानराम
ग्राम पंचायत दाड़िमी
विकास खण्ड-लमगड़ा
जिला-अल्मोड़ा

सदस्य
वि० स०-... (महमोद)

परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जाख से गणाउ-दाड़िमी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई-5.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम डागाऊ
तहसील जैती, जिला अल्मोड़ा

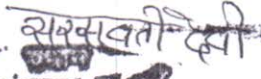
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जाख से गणाउ-दाड़िमी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई-5.00 किमी० परियोजना के निर्माण हेतु हे० आरक्षित वन भूमि, ०.१४० हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि हे० अर्थात् कुल ०.१४० हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डागाऊ द्वारा दिनांक 12/03/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डागाऊ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत अधिकारी
क्षेत्र डागाऊ
विकास खण्ड-लगनडा
जनपद-अल्मोड़ा


ग्राम प्रधान
अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.1

दिनांक 10/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत राजा 35

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	शुक्ति चन्द जाधवी SP. स्व. श्री. विश्वदेवजी	शुक्ति
2-	सुनीलचन्द गहड़ SP. स्व. श्री. सुनील चन्द गहड़	सुनीलचन्द
3-	राजेश्वर उदगा SP. स्व. श्री. विद्यामणि गहड़	राजेश्वर
4-	मल्लिकार्जुन गहड़ SP. स्व. श्री. दलपत गहड़	मल्लिकार्जुन
5-	दया नन्द जी SP. स्व. श्री. विद्यामणि	दया नन्द
6-	श्रीधरचन्द SP. स्व. श्री. मन्मथ गहड़	श्रीधरचन्द

ग्राम पंचायत अधिकारी
क्षेत्र...
विभाग...
जयपुर-अजमेरा

सुखदेवी देवी
ग्राम पंचायत-राजा 35
विभाग-समस्या, जयपुर
ग्राम प्रधान

सुखदेवी देवी
सदस्य

क्षेत्र पंचायत दाड़िमी,
वि० ख०-समस्या (अजमेरा)

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में जाख से गणाऊ-दाड़िमी तक मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 कि०मी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, जैती
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जैती
उपखण्ड जैती परिक्षेत्र के अन्तर्गत जाख से गणाऊ-दाड़िमी तक मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु २.१६ हे० आरक्षित वन भूमि, ०.१४० हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि २.१६ हे० अर्थात् कुल ०.१४० हे० का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जैती) की दिनांक 14/08/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

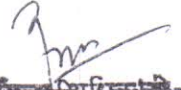
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अरवि चामल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री अरवि चामल उपजिलाधिकारी जैती अध्यक्ष
- 2- श्री अहिषा चिरोही उप प्रभागीय वनाधिकारी तोहावात (चमल वन प्रभाग) सदस्य
- 3- श्री आरत अजय सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी तमगड़ा सदस्य/सचिव
- 4- श्री अती - पार्वती देवी बी०डी०सी० क्षेत्र दाड़िमी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया जनपद अल्मोड़ा में जाख से गणाऊ-दाड़िमी तक मोटर मार्ग लम्बाई 5.00कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु ०.३६० हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जैती परिक्षेत्र के अन्तर्गत जाख से गणाउ-दाड़िमी तक मोटर मार्ग लम्बाई 5.00कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु कुल ०.१४० हे० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/परिक्षेत्र
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-जैती
जनपद-अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/परिक्षेत्र
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-जैती
जनपद-अल्मोड़ा

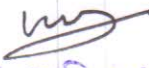
परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में जाख से गणाउ-दाड़िमी तक मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 कि०मी०

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में जाख से गणाउ-दाड़िमी तक मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 कि०मी० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
.....तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


उप जिला अधिकारी
देवी/भनोली


जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा


जिला अधिकारी
अल्मोड़ा


व.क.

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated.....

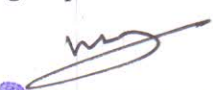
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.980** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Provincial Division P.W.D Almora Uttarakhand for Construction of Jakh to Garau-Darimi Motor Road (5.00 Km.) Provincial Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Garau, Darimi Village (s) in Jaiti tahsils.**

It is further certified that:

- (p) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.980** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (q) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (r) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above


जिला अधिकारी
प्रस्ताव
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)


जिला अधिकारी
प्रस्ताव


अ.क.

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.980 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

(Full name of the official seal of the District Collector


जिला प्रशासक
Signature
प्रसाद


20/05/20
D.C.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., Deputy Commissioner, Almora on date ...19.03.15... at time ...4:00 PM... at Almora in which application claiming rights of Jakh, Garau, Darimi area measuring 0.980 Hect. for the construction of Jakh to Garau-Darimi Motor Road (5.00 Km.) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Jaiti sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

Dated:

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee.


19.03.15
विना कुमार
अधीक्षक


अधीक्षक

